फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 31 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव सियावा पटवार हल्का सियावा में स्थित खसरा संख्या 1722/1, 1722/2 व खसरा संख्या 1723 राजस्व रेकर्ड में नगर सुधार न्यास आबू के नाम दर्ज है, जिस पर रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा पट्टा जारी किए गए है। अतः उक्त पट्टा जारी करने की समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त खसरों पर पट्टाधारक को होटल निर्माण करने हेतु नक्शा पारित कर निर्माण स्वीकृति जारी की गई है, उक्त पत्रावली मय पारित नक्शे की प्रमाणित प्रति तथा श्री कीर्ति प्रजापत द्वारा मावल दरगाह के पास तीन मंजिल होटल का निर्माण किया जा रहा है, जो नगर सुधार न्यास के क्षेत्राधिकार में है। अतः रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा उक्त तीन मंजिला होटल निर्माण करने के सम्बन्ध में जारी की गई निर्माण स्वीकृति मय पारित नक्शे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव सियावा पटवार हल्का सियावा में स्थित खसरा संख्या 1722/1, 1722/2 व खसरा संख्या 1723 राजस्व रेकर्ड में नगर सुधार न्यास आबू के नाम दर्ज है, जिस पर रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा पट्टा जारी किए गए है। अतः उक्त पट्टा जारी करने की समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त खसरों पर पट्टाधारक को होटल निर्माण करने हेतु नक्शा पारित कर निर्माण स्वीकृति जारी की गई है, उक्त पत्रावली मय पारित नक्शे की प्रमाणित प्रति तथा श्री कीर्ति प्रजापत द्वारा मावल दरगाह के पास तीन मंजिल होटल का निर्माण किया जा रहा है, जो नगर सुधार न्यास के क्षेत्राधिकार में है। अतः रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा उक्त तीन मंजिला होटल निर्माण करने के सम्बन्ध में जारी की गई निर्माण स्वीकृति मय पारित नक्शे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	